ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997
Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):271-276

मिताक्षरा और दायभाग, अधुनिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में तुलनात्मक अध्ययन

ज्योति त्रिपाठी एवं राहुल कृष्णन
संस्कृत विभाग,
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ०प्र०
Corresponding author: aakashshukla666@gmail.com

Received: 08.03.2025 Revised:02.05.2025 Accepted: 25.05.2025

सारांश

इस शोध पत्र में मिताक्षरा और दायभाग हिंदू उत्तराधिकार कानून के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और धर्मशास्त्रों से हुई है। मुख्यतः इन्ही दोनों धर्मग्रन्थों के आधार पर अधुनिक भारतीय "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम" 1956 जो भारतीय समाज में पैतृक सम्पति वितरण निरधारित करने में महात्वपूर्ण भूमिका निभाति है और सम्पत्ति वितरण के विभिन्न सिद्धांतों को परिभाषित करती हैं। "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम" 1956 के द्वारा भारतीय समाज के सयुक्त परिवार के उत्तराधिकार और सम्पत्ति कि विरासत को नियन्त्रित किया जाता है। यह अधिनियम कोई नया विधि शस्त्रा नही है बल्कि भारतीय धर्मग्रन्थों में 11वीं0 शताब्ती एवं 11वीं0 शताब्ती के पहले भारतीय धर्मशास्त्रों एवं धर्मग्रन्थों के माध्यम से पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और सम्पत्तियोंं को नियन्त्रित किया जाता था। उन्हीं नियमों या सिद्धान्त का संशोधित रूप ही "हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 हैं।" यह शोध पत्र मिताक्षरा और दायभाग का विस्तृत विश्लेषण एवं "हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956" का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। जिसमें संस्कृत के श्लोकों, कानूनी व्याख्याओं, एतिहासिक विकास और आधुनिक समय मे उनकी प्रासंगिता को शामिल किया गया है, कि कैसें ये प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के सिद्धांतों, प्राणालियों में आज के समाजिक और कानूनी सन्दर्भ में अनुकूल और चुनौतिपूर्ण बनी हुयी है।

प्रस्तावना

हिंदू उत्तराधिकार कानून की दो प्रमुख प्रणालियाँ, मिताक्षरा और दायभाग, भारतीय समाज में संपत्ति के वितरण और उत्तराधिकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन दोनों प्रणालियों का विकास प्राचीन हिंदू विधि शास्त्रों के आधार पर हुआ और इन्हें विभिन्न कानूनी विद्वानों द्वारा व्याख्यायित किया गया। इन प्रणालियों का प्रभाव भारत के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में देखा जाता है, जहां प्रत्येक प्रणाली की अपनी विशिष्ट परंपराएँ और सिद्धांत हैं। ये दोनों उत्तराधिकार कानून की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इन्होंने न केवल पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक और कानूनी ढांचे को भी गहराई से प्रभावित किया है।

मिताक्षरा और दायभाग स्कूलों की उत्पत्ति और विकास भारतीय कानूनी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मिताक्षरा, जो न्यायशास्त्री विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा टीकापर आधारित है, भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। यह स्कूल विशेष रूप से उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में लागू होता है। दूसरी ओर, दायभाग, जो विद्वान जिमूतवाहन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वी भारत के कुछ अन्य हिस्सों में मान्य है।

इन दोनों प्रणालियों के बीच मूलभूत अंतर उनके संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांतों में देखा जाता है। मिताक्षरा प्रणाली संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें पुत्र जन्म से (ठल ठपतजी) ही पैतृक संपत्ति में सह-स्वामी बन जाता है। इसे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जन्म लेने के साथ ही पुत्र को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत, दायभाग प्रणाली में संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगत माना जाता है, और पुत्र को तब तक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि उसके पिता की मृत्यु न हो जाए। इसमें उत्तराधिकार द्वारा अधिकार प्राप्त होता है, न कि जन्म के आधार पर।

एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। मिताक्षरा प्रणाली में पारंपरिक रूप से महिलाओं के संपत्ति अधिकार सीमित थे, क्योंकि इसमें संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में पुत्रों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। हालांकि, दायभाग प्रणाली महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मानी जाती थी, क्योंकि इसमें पिता की संपत्ति में पुत्री को भी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी। आधुनिक कानूनी परिप्रेक्ष्य में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने इन प्रणालियों में सुधार कर हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने मिताक्षरा प्रणाली में भी पुत्रियों को समान अधिकार देकर उत्तराधिकार कानून अधिक न्यायसंगत और आधुनिक सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया है। इस प्रकार, मिताक्षरा और दायभाग स्कूलों ने भारतीय उत्तराधिकार कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक समय में, भले ही इन प्रणालियों के पारंपरिक भेदों को कानूनी सुधारों के माध्यम से कम किया गया हो लेकिन इनकी ऐतिहासिक और कानूनी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

परिकल्पनाः-

मिताक्षरा एवं दायभाग ग्रन्थों पर कैसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निरर्भर है, और अधुनिक कानून के सापेक्ष अपनी उपयोगिता बनाऐ हुऐ है।

शोध की पृष्ठभूमिः-

मिताक्षरा

मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार कानून की एक प्रसिद्ध टीका है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। इसकी रचना प्रसिद्ध विद्वान विज्ञानेश्वर द्वारा कि गई है, और यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मान्य है। मिताक्षरा स्कूल में संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्ति के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई है। मिताक्षरा के अनुसार, पैतृक संपत्ति (ठल ठपतजी) परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की होती है और उन्हें जन्म से ही इसमें अधिकार प्राप्त

होता है। इसे सहभोग की अवधारणा कहा गया है।

1.2 प्रमुख सिद्धांत

- सहभोग की अवधारणाः मिताक्षरा स्कूल के अनुसार, पैतृक संपत्ति पर परिवार के सभी पुरुष सदस्य जन्म से ही स्वाभाविक रूप से हकदार होते हैं।
- उत्तराधिकार की प्रणालीः यह प्रणाली संयुक्त परिवार की धारणा पर आधारित है, जिसमें संपत्ति का स्वामित्व परिवार के सभी पुरुष सदस्यों में साझा होता है।
- विभाजन का नियमः संपति का विभाजन तभी होता है जब परिवार के सदस्य इसे विभाजित करने का निर्णय लेते हैं।

श्लोक

पितृपैतामहादि संपत्ति सहजान्या सहभाग्या भवति।

(अर्थात पैतृक संपत्ति में सभी पुरुष उत्तराधिकारी जन्म से ही समान भागीदार होते हैं।)

- मिताक्षरा प्रणाली में, पुत्र पिता से पैतृक सम्पत्ति को बाटने के लिये कहा सकता है।
- पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में ही सम्पत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है।

क्षेत्रीय प्रभाव

मिताक्षरा कानून उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस प्रणाली में संपत्ति के विभाजन के लिए परिवार के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे संयुक्त परिवार की अवधारणा को मजबूती मिलती है।

दायभाग

परिभाषा और उत्पत्ति

दायभाग, प्रसिद्ध विद्वान जिमूतवाहन ने की थी जो बंगाल और असम क्षेत्र में मान्य है। यह टीका याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति के सिद्धांतों पर आधारित है। दायभाग के अनुसार, संपत्ति का उत्तराधिकार (ैनबबमेे◌ंपवद) मृत्यु के बाद निर्धारित होता है और परिवार के सदस्यों को जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता।

प्रमुख सिद्धांतः-

स्वामित्व का आधारः- संपत्ति का अधिकार सहस्वामित्व के बजाय उत्तराधिकार पर आधारित होता है।

उत्तराधिकार की अवधारणाः- संपत्ति का स्वामित्व तब मिलता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरान्त ही पुत्र सम्पत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते है।

दायं भागे विभज्यते, तस्मात् दायभागः।

(अर्थात संपत्ति का विभाजन स्वामित्व अधिकारों के अनुसार किया जाता है और यह तब लागू, होता है जब स्वामी का निधन हो जाए।)

महिलाओं के अधिकारः- इस प्रणाली में महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, जो इसे अधिक न्यायसंगत बनाता है।

क्षेत्रीय प्रभाव

दायभाग स्कूल मुख्य रूप से बंगाल और असम में लागू होता है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है और यह महिलाओं के अधिकारों को भी मान्यता देता है।

विशेषता	**मिताक्षरा**	**दायभाग**
संपत्ति का स्वामित्व	संयुक्त (सहभोग)	व्सत्तिगत
उत्तराधिकार का आधार	जन्मसिद्ध अधिकार	स्वामिम्व प्राप्ति
महिलाओं के अधिकार	सीमित	अधिक अधिकार प्राप्त
विभाजन का नियम	सहमति से विभाजन	मालिक की मृत्यु के बाद
क्षेत्रीय प्रभाव	अधिकांश भारत	बंगाल, असम

आधुनिक प्रासंगिकता

समय के साथ, मिताक्षरा और दायभाग स्कूलों में महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार हुए हैं, जिससे हिंदू उत्तराधिकार प्रणाली अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनी है। भारत में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर कई परंपरागत असमानताएँ थीं, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में। इसे ध्यान में रखते हुए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लाया गया, जिसने इन दोनों प्रणालियों में व्यापक सुधार किए। इसके बाद, 2005 के संशोधन ने विशेष रूप से मिताक्षरा प्रणाली में परिवर्तन लाकर इसे दायभाग प्रणाली के अधिक समान बना दिया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले, मिताक्षरा प्रणाली में संपत्ति का उत्तराधिकार केवल पुरुष सदस्यों तक सीमित था। पुत्रों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था, जबकि पुत्रियों को केवल विवाह तक पारिवारिक देखभाल का अधिकार मिलता था, न कि पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार। दूसरी ओर, दायभाग प्रणाली महिलाओं के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक अनुकूल थी, क्योंकि इसमें पुत्री को भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जाता था। 1956 के अधिनियम ने संपत्ति के विभाजन और उत्तराधिकार के नियमों में सुधार किया और महिलाओं को भी व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार दिया। हालाँकि, इसमें एक बड़ी कमी यह थी कि मिताक्षरा प्रणाली में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की संकल्पना को बनाए रखा गया, जिससे महिलाओं को समान अधिकार पूरी तरह नहीं मिल सके।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने इस असमानता को दूर करने

के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव किया। इस संशोधन ने मिताक्षरा प्रणाली में बेटियों को भी समान अधिकार प्रदान किए, जिससे वे पैतृक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी बन गईं। पहले जहाँ केवल पुत्रों को ही संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता था, वहीं अब पुत्रियों को भी वही अधिकार मिलने लगे। इससे यह प्रणाली दायभाग प्रणाली के समान अधिक न्यायसंगत हो गई। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, अब बेटियाँ भी पारिवारिक संपत्ति में सह-स्वामी बन सकती हैं और उन्हें भी संपत्ति के विभाजन में समान हिस्सा मिलता है। यह सुधार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

निष्कर्ष

मिताक्षरा और दायभाग हिंदू उत्तराधिकार कानून के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो संपत्ति के उत्तराधिकार और वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रणालियाँ विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रही हैं और भारतीय समाज में संपत्ति अधिकारों की नींव रखती हैं। मिताक्षरा स्कूल संयुक्त परिवार की अवधारणा को प्राथमिकता देता है। इसमें पारिवारिक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि पुत्र के जन्म के साथ ही उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है। इसमें संपत्ति का विभाजन तभी होता है जब परिवार का कोई सदस्य इसे कानूनी रूप से अलग करने की मांग करता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में लागू होती है। दूसरी ओर, दायभाग स्कूल व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्व देता है। इसमें उत्तराधिकार जन्म पर निर्भर न होकर पिता की मृत्यु के बाद लागू होता है। इसमें संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व व्यक्ति के पास होता है, और वह इसे अपनी इच्छानुसार बाँट सकता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल, असम, और उड़ीसा में प्रचलित रही है। आधुनिक कानूनी सुधारों ने इन दोनों प्रणालियों के बीच के अंतर को कम कर दिया है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और 2005 का संशोधन महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान करता है, जिससे अब पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। इससे मिताक्षरा प्रणाली अधिक न्यायसंगत हो गई और यह दायभाग के समान होती चली गई। इन प्रणालियों का अध्ययन कानूनी पेशेवरों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे उत्तराधिकार संबंधी मामलों को प्रभावी रूप से समझ सकें और न्यायसंगत समाधान निकाल सकें।

क्र0सं0	ग्रन्थ का नाम	लेखक/सम्पादक का नाम	प्रकाशन
1.	मिताक्षरा	पंडित रतन गोपाल भट्ट	चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी
2.	दायभाग	प्रो0 डॉ0 जय कृष्ण मिश्र	चौखम्भा कृष्णदास अकडमी वाराणसी
3.	याज्ञवल्क्य	डॉ0 गंगा सागर राय	चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी
4.	मनुस्मृति	गणेश दत्त पाठक	चौखम्भा संस्कृत सस्थान वाराणसी
5.	नारद स्मृति	प्रतिष्ठान	नई दिल्ली
6.	हिन्दू विधि	डॉ0 यू0पी0डी0 केसरी	सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. याज्ञवल्क्य स्मृति, अध्याय 2, लोक 1171
2. जिमूतवाहन का दायभाग, खंड 4, लोक 321
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधित 2005)

Disclaimer/Publisher's Note:
The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.